



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3080]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2016/पौष 7, 1938

No. 3080]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/PAUSA 7, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4207(अ).—यतः, मै. मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास (जबलपुर) लिमिटेड ने मध्य प्रदेश राज्य के गांव उमरीया, तहसील शाहपुर, जिला जबलपुर में कृषि खाद्य सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2175(अ) दिनांक 25 अगस्त, 2009 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 101.21 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास (जबलपुर) लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 101.21 हेक्टेयरके सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, मध्य प्रदेश सरकार ने उनके दिनांक 15 सितम्बर, 2015 के पत्र सं. इफ11-28/2008/बी-ग्यारह के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, इंदोर विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.1/152/2008-एस.ई.जेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December, 2016

**S.O. 4207(E).**—WHEREAS, M/s. Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas (Jabalpur) Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Agro and Agro based products sector at Village-Umariya, Tehsil-Shahpura, District-Jabalpur, in the State of Madhya Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 101.21 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2175(E) dated 25<sup>th</sup> August, 2009;

AND, WHEREAS, M/s. Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas (Jabalpur) Limited has now proposed for full de-notification of 101.21 hectares area at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Madhya Pradesh has given its “No Objection” to the proposal vide their letter No.F.11-28/2008/B-11, dated 15<sup>th</sup> September, 2015;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Indore Special Economic Zone has recommended the proposal for full de-notification of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/152/2008-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.